संख्या–716 / एक–10–2020–33(06) / 2020

प्रेषक,
संजय गोयल,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,
जिलाधिकारी,
लखनऊ।

राजस्व अनुभाग–10 | लखनऊः दिनांकः 22 अक्टूबर, 2020

विषयः–कोविड–19 के वायरस संक्रमण से स्व0 सुशील कुमार मौर्य (आई0ए0एस0) की ड्यूटी के दौरान संक्रमित होने से मृत्यु की दशा में उनके आश्रित को एकमुश्त अनुग्रह धनराशि रु0 50.00 लाख दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त विंध्यांचल मण्डल, मिर्जापुर के पत्र सं0–887 / प्र.स.–चि–कोविड / 2020 दिनांक 09.10.2020, जिलाधिकारी सोनभद्र के पत्र सं0–117 / आर.ए.–2020, दिनांक 08.10.2020 एवं नियुक्ति विभाग, उ0प्र0 द्वारा किये गये अनुरोध के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि मृतक सुशील कुमार मौर्य, आई0ए0एस0 (एस0सी0एस0–2009) पता–34, लक्ष्मणपुरी, निकट विज मार्केट, फैजाबाद रोड इन्दिरा नगर, लखनऊ, की ड्यूटी कोविड–19 के नियंत्रण, रोकथाम एवं उपचार आदि हेतु नियुक्ति विभाग द्वारा जनपद सोनभद्र में लगायी गयी थी, जो ड्यूटी के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमित हुये थे। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीटयूट, रायबरेली रोड, लखनऊ द्वारा दिनांक 17.09.2020 को निर्गत प्रमाण–पत्र (पं0सं0–डी–2020–9–91145–000835) के अनुसार दिनांक 07.09.2020 प्रात 7:50 बजे (R.C.H.) COVID PNEUMONIA के कारण इनकी मृत्यु हुई है। कोरोना वायरस (कोविड–19) की संक्रमण से मृत्यु के फलस्वरूप उनके आश्रित को राहत सहायता प्रदान किये जाने के लिए राजस्व विभाग के शासनादेश सं0–249 / एक–11–2020–04(जी) / 2015–टी0सी0, दिनांक 11.04.2020 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020–21 में रू0 **50,00,000 / – (रू0 पचास लाख मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन जिलाधिकारी, लखनऊ के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद / विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।

(2) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु प्रभावित परिवार को राहत प्रदान किये जाने हेतु शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित

(3) राज्य आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तद्नुसार धन उत्पन्न कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना एवं व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। प्रदत्त धनराशि का पूर्ण सजकता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा–जोखा

रखा जाय तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट https://rahat.up.nic.in पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय।

(5) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0–2/1–11–2013–रा0–11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/ अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2021 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाय।

(6) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण–पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369–एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0–42 आई में शासन को उपलबब्ध कराया जाय।

(7) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

2– उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020–21 के आय–व्ययक के अनुदान सं0–51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक **"2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–05–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड–800–अन्य व्यय–06–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय–09–राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय–42–अन्य व्यय"** के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

Digitally signed by संजय गोयल
Date:Thu Oct 22 17:42:23 IST 2020
Reason:Approved

(संजय गोयल)
सचिव।

<u>संख्या–716(1)/एक–10–2020–33(06)/2020 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग,उ0प्र0।
2– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, भाषा विभाग,उ0प्र0।
3– महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
4– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ।
5– मण्डलायुक्त, विन्ध्यांचल मण्डल, मिर्जापुर,उ0प्र0।
6– जिलाधिकारी,सोनभद्र,उ0प्र0।
7– वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त ,उ0प्र0।
8– कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ, उ0प्र0।
9– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–5
10– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2020-2021
आवंटन दिनांक-03/11/2020

प्रेषण संख्या:- 716
आवंटन आदेश संख्या:- 175-33
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2020-2021 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 -
09 - राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 173282000	5000000 173282000
	योग	वर्तमान प्रगामी	5000000 173282000	5000000 173282000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पचास लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया सत्रह करोड़ बत्तीस लाख बयासी हजार

(उमेश कुमार उपाध्याय)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी